

# राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर (राज.)।

## मल्टीपरपेज हॉल

क्र.सं.		धारा 4(1)(ख) के तहत 17 श्रेणियों का विवरण
1.	संगठन का विवरण अनुभाग।	राजस्थान पुलिस अकादमी मल्टीपरपेज हॉल,
2.	अधिकारियों / कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ।	(क) सहायक निदेशक (आउटडोर) – मल्टीपरपेज हॉल में होने वाली समस्त गतिविधियाँ का सम्पादन एवं पर्यवेक्षण करना। (ख) संचित निरीक्षक (प्रशासन) समस्त गतिविधियों एवं कार्यों का पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व। (ग) अन्य सदस्य – प्रदत्त कार्यों का सम्पादन।
3.	निर्णय बनाने के लिए प्रक्रिया।	सहायक निदेशक आउटडोर के द्वारा उचित माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित कर निदेशक महोदय के अदेशानुसार निर्णय किये जाते हैं।
4.	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदण्ड।	समय-समय नियमानुसार निर्धारित किये गये मानदण्डों के अनुसार कार्यों को सम्पादन।
5.	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम।	➤ निदेशक आर.पी.ए. द्वारा जारी नियम, विनियम, परिपत्रों के अनुसार कार्यों का सम्पादन। ➤ समय समय पर जारी अन्य विनियम।
6.	श्रेणियों का विवरण।	● स्टॉक रजिस्टर (खेल सामग्री रख-रखाव)।
7.	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
8.	परामर्शदात्री समितियाँ अन्य निकायों का विवरण।	लागू नहीं।
9.	अधिकारियों / कर्मचारियों की निर्देशिका।	सहायक निदेशक (आउटडोर), फो0 नं0 01412302131 पीबीएक्स नं0 –506.
10.	अधिकारियों / कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक।	लेखा शाखा।
11.	बजट प्रत्येक एजेन्सी को आवंटित।	लेखा शाखा।
12.	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन।	लागू नहीं।
13.	रियायते, परमिट पाने वाले का ब्यौरा।	लागू नहीं।

14.	एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना।	राजस्थान पुलिस अकादमी की वेबसाइट पर से।
15.	नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं।	लागू नहीं।
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम	सहायक निदेशक (प्रशासन) लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक आरपीए प्रथम अपील अधिकारी।
17.	ऐसी अन्य सूचनाएं।	विभाग द्वारा समय-समय तत् सम्बन्धित सूचना को प्रकाशित किया जाता है।